संख्याः 148 भू0क्य/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 06 मई, 2008

विषयः— **मै0 बायोकैम फार्मास्यूटिकल को जनपद हरिद्वार की तहसील रूड़की के ग्राम अमरपुर काजी में फार्मास्यूटिकल की स्थापना हेतु कुल 1.3495 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1238/भूमि व्यवस्था–भू0क्0 दिनांक 16–11–2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 बायोकैम फार्मास्यूटिकल को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम अमरपुर काजी में श्री पालसिंह, रमेशचन्द,प्रदीप कुमार पुत्रगण श्री मामराज नि0 अमरपुर काजी परगना भगवानपुर के गाटा सं0 218 रकबा 0.1806, गाटा सं0 290 रकबा 0.0637, गाटा सं0 250 रकबा 1.5551 का 3/4 भाग अर्थात कुल 1.3495 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय

.....(2)

किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

7– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की कोई भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन करा लिया जायेगा।

8– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9– इकाई के निर्माण से पूर्व प्रस्तावित केताओं द्वारा इकाई हेतु वांछित सभी विधिक व अन्य अनापत्तियॉ /स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेंगी।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एंव भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– कम्पनी द्वारा प्रस्तावित फार्मास्यूटिकल इकाई में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को नियमित रूप से न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11– प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के GIDCR में उल्लिखित शर्तो के अधीन होगा।

.....(3)

12– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र फार्मास्यूटिकल इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

13– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पाट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

14– इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व ड्रग कण्ट्रोलर से ड्रग लाईसेन्स, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

15– प्रश्नगत इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

16– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरसत करदी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा एंव प्रबंध निदेशक सिडकुल, देहरादून।।
7– श्री एस.जे. शाह, गैनेजिंग डायरेक्टर, मै0 बायोकैम फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज लि0, रजिस्टर्ड आफिस एडम बिल्डिंग जोहन, करेस्टो लाईन मुम्बई–2
8– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।